

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 101] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 11, 1981/फाल्गुन 20, 1902
No. 101] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 11, 1981/PHALGUNA 20, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1981

का. आ. 175 (अ) .—केंद्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधि-
नियम 1954 (1954 का 37) की धारा 2 के खण्ड (4) के अनुसरण में श्री ए. जी.
लखनी, ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी को 1 मार्च 1981 से छह मास की अवधि के
लिए या जब तक नियमित नियुक्ति अधिसूचित नहीं की जाती इनमें से जो
भी पूर्वतर हो, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, पुणे के निदेशक के सभी या किन्हीं
कृत्यों को करने के लिए नियुक्त करती है और भारत सरकार के स्वास्थ्य और
परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 81. (अ),

तारीख 8 फरवरी, 1978 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, मद 2 के सामने, स्तंभ (1) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“श्री ए. जी. लखानी”

[सं. पी. 15014/1/81-पी एच (एफ एण्ड एन)/पी एफ ए]

सी वि एस मणि, अपर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 1981

S.O. 175(E).—In pursuance of clause (iv) of section 2 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri A. G. Lakhani, Senior Scientific Officer to perform all or any of the functions of the Director of the Central Food Laboratory, Pune, with effect from 1st March, 1981 for a period of six months or till a appointment is notified whichever is earlier and makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, (Department of Health), No. S.O. 81(E), dated the 8th February, 1978, namely :—

In the Table to the said notification, against item 2, in column (1) for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

“Shri A. G. Lakhani”.

[No. P. 15014/1/81-PH (F&N)/PFA.]

C. V. S. MANI, Addl. Secy.